

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(5)RajMES/Faculty/Recruitment/2022/Loose/110052

दिनांक : 13-9-22

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9720 दिनांक 25.08.2022 के क्रम में निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने वाले समस्त चिकित्सक शिक्षकों को कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 29.09.2022 तक अभिवृद्धि प्रदान की जाती है।


निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F1(5)RajMES/Faculty/Recruitment/2022/Loose/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, राजमेस, जयपुर।
4. अति. निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
5. उप. निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजमेस, जयपुर।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी को द्वारा ई-मेल से।
9. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।


अति. निदेशक (प्रशा.)

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर